

पत्रांक 716-20 / एटीआई / व्य०पत्रा० / 2008

दिनांक 18 फरवरी, 2021

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या-618-20 / एटीआई / 2008 दिनांक 20 अगस्त, 2008 द्वारा श्री अरविन्द कुमार को संस्थान में रु० 10,500/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर अनुदेशक (कर्मशाला) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छ माह की अवधि के लिये सविदा सेवा पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 23.08.2008 के पूर्वान्ह में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया था। तदुपरान्त श्री अरविन्द कुमार के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम बार आदेश संख्या-1117-20 / एटीआई / व्य०पत्रा० / 2008 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा अनुदेशक (कर्मशाला) के पद पर सविदा अवधि दिनांक 23.02.2020 से अग्रतः 01 वर्ष (अर्थात् 22 फरवरी, 2021 तक) के लिये बढ़ाई गयी थी। इस प्रकार श्री अरविन्द कुमार की सविदा अवधि दिनांक 22 फरवरी, 2021 को समाप्त हो रही है।

2 श्री अरविन्द कुमार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2021 के अन्तर्गत अपनी सविदा अवधि को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है। श्री अरविन्द कुमार के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रु० 36,308/- एवं शासनादेश संख्या-1422 / छप्पन-2014-17 / 2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि यथासमय पर दिनांक 23 फरवरी, 2021 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात् 22 फरवरी, 2023 तक) के लिये उनकी सविदा अवधि अनुदेशक (कर्मशाला) के पद पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाई जाती है। श्री अरविन्द कुमार को सविदा अवधि में उक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते आदि देय न होंगे।

3 उक्त सविदा अवधि के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार को पूर्व की भाँति रु० 100/- के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

(सुरेन्द्र सिंह)
निदेशक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विल्ल नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. लेखा प्रभाग, ए०टी०आई०, लखनऊ।
4. श्री अरविन्द कुमार, अनुदेशक (कर्मशाला) ए०टी०आई०, लखनऊ।

(विनय कुमार राय)
उप निदेशक।